प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.06.2026

- **थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पशु चोरी करने वाले 03 शातिर चोरों को चोरी की 02 राशि भैंस, 01 अदद वाहन (लोडर) व एक अदद नाजायज चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना राजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.05.2026 को बेहलाई पशु बाजार से 03 नफर अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र सिंह उर्फ छोटू पुत्र शिव विजय सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 24 वर्ष 2. रणदीप पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 22 वर्ष 3. रोशन पुत्र हनुमान सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 26 वर्ष के पास से चोरी की 02 राशि भैंस व एक अदद वाहन (लोडर) व अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ छोटू उपरोक्त की जामा तलाशी से 01 नाजायज चाकू बरामद करते हुए अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0- 064/2026 धारा 35(1) बीएनएसएस व 317(2)/317(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। बरामद लोडर को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. शैलेन्द्र सिंह उर्फ छोटू पुत्र शिव विजय सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 24 वर्ष।
2. रणदीप पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 22 वर्ष।
3. रोशन पुत्र हनुमान सिंह निवासी ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र 26 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम भैंसे चोरी करते हैं। हम लोग भैंसों को चोरी करके लोडर से बाजारों में ले जा कर बेच देते हैं। भैंसों को बेचने से मिले रूपयों को हम लोग आपस में बराबर बांट लेते हैं जिससे हम अपना खर्चा चलाते हैं। अड्डी के पास यह जो दोनों भैंसे बंधी हुई हैं इनको हमने अपने ही गांव के महेश कश्यप के घर के बाहर से चुराई थीं और आज इनको बेचने के लिए हम लोग यहां पर ले आए थे कि आप लोगों ने हमको पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण –

1. 02 राशि चोरी की भैंस।
2. 01 अदद लोडर वाहन संख्या UP 78 GN 9339।
3. 01 अदद नाजायज चाकू।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 159/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर।

2.मु0अ0सं0 064/2026 धारा 35(1) बीएनएसएस व 317(2)/317(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना राजपुर पुलिस